

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

केस का प्रकार TA Misc. Case No. 34/2019-20

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर जो गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
14.5.19	आवेदक/आवेदिका गोविन्द पिंगुवा, पिता- रेंसों पिंगुवा, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- नारांगा, थाना- सोनुवा, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा- नारांगा, थाना नं०- 126, थाना- चक्रधरपुर, खाता नं०- 127, प्लॉट नं०- 783, रकवा- 0.20 ए०, क्रेता योगेन्द्र दिग्गी, पिता- विजय दिग्गी, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- लोंजो, थाना- सोनुवा, जिला प० सिंहभूम के पास जमीन बक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है:- <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>थाना</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकवा एकड़ में</th></tr><tr><td>नारांगा</td><td>126</td><td>चक्रधरपुर</td><td>127</td><td>783</td><td>0.20 ए०</td></tr></table> आवेदक को 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) रुपये की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का कुल रकवा 0.20 ए० को कुल कीमत 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी सोनुवा से अपना जांच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 30.5.19 तक मांग करें। अभिलेख दिनांक 31.5.19 को उपस्थापित करें।	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा एकड़ में	नारांगा	126	चक्रधरपुर	127	783	0.20 ए०	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा एकड़ में									
नारांगा	126	चक्रधरपुर	127	783	0.20 ए०									

[Signature]
14.5.19

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

[Signature]
14.5.19

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।